

न्यायालय नायब तहसीलदार भिंयाड, जिला बाइमेर

राजस्व प्रकरण मामला संख्या 120/2025 अर्न्तगत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956
सायल बगाम गैर सायल

राजस्थान राज्य
जरिये पटवारी उण्डू

हुकमाराम पुत्र भगाराम
जाति जाट निवारी जाटावारा।

"निर्णय"

दिनांक:-24.10.2025

पत्रावली आज चमुकाम भिंयाड मे पेश हुई और गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उण्डू ने धारा आर.एल. आर. एक्ट 91 के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैसा. ने मीजा जाटावारा के खरारा नं. 490 रकबा 7.2843 हैक्टैयर किरम वाअवल में से 0.40 हैक्टैयर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कब्जा/काश्त किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल के विरुद्ध धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस से चुनवाई हेतु तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ/और गैर सायल उपस्थित रहा।

अत गैर सायल को आर एल आर एक्ट 1956 की धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैर सायल को अतिक्रमणी घोषित किया जाकर उक्त विवादग्रस्त भूमि से वेदखल करने के आदेश पारित किये जाते हैं। साथ ही वार्षिक लगान रूपये 0.12 पैसा का गुणा 50 जुर्माना राशि रूपये 18/- पूर्णांक में अक्षरे अटारह रूपये/- मात्र से आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

पटवारी हल्का और भू0अ0 निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि वह गैर सायल को भौतिक रूप से वेदखल कर भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना एक माह में पेश करे। भू0 अभिलेख निरीक्षक को फरसल नीलामी हेतु आदेशित किया जाता है।

टी.आर.ए. पटवारी हल्का, निरीक्षक भू.अ. आदेश से सूचित हो तथा पत्रावली टी.आर.ए. के पास मांग कायमी हेतु भेजी जावें।

निर्णय दिनांक 24.10.2025 को सारेआम सुनाया गया।



नायब तहसीलदार भिंयाड
नायब तहसीलदार
भिंयाड तह.शिव जिला -बाइमेर